

उत्तर प्रदेश शासन



लोक निर्माण विभाग

का


कार्यपूति दिग्दर्शक

आय-व्ययक

(परफार्मेन्स बजट)

वर्ष

2001-2002




प्राक्कथन

इस पुस्तिका में लोक निर्माण विभाग का वर्ष 2001-2002 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य के वित्तीय बजट 2001-2002 के अनुदान सं० 54, 55 तथा 58 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के लिये प्रस्तावित वित्तीय प्राविधानों के अनुसार इस कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट में विभाग की स्थिति बताई गई है।

2- प्रस्तुत कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों का वर्गीकरण उनके ऊपर होने वाले व्यय को वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों से यथा सम्भव संबंधित करने का प्रयास किया गया है ताकि प्राविधानित धनराशि के व्यय पर अधिक अच्छा नियंत्रण रखा जा सके तथा व्यय का उपलब्धियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके।

प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग
लखनऊ।



विषय सूची

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1	भूमिका	1
2	प्रशासन	2
3	मार्ग विकास	3
	अ- मार्ग विकास नीति	4, 5
	ब- राष्ट्रीय मार्ग	6-8
	स- महत्वपूर्ण मार्ग विकास योजनाएं	9 - 12
4	भवन कार्य	13,14
5	बाह्य सहायता	15
6	अन्वेषणालय	16
7	कम्प्यूटरीकरण	17
8	प्रशिक्षण	18
9	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम	19 - 21
10	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	22 - 24
11	लो०नि०वि० संगठन की संरचना(परिशिष्ट-अ)	25



भूमिका

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग का मूलभूत उद्देश्य :-

यह विभाग प्रदेश में सड़कों एवं पुलों का निर्माण, पुनः निर्माण व सुधार तथा उनका रख-रखाव करता है। राज्य सरकार के कतिपय विभागों के भवनों के निर्माण तथा उनके अनुरक्षण का दायित्व भी इसी विभाग पर है। यह विभाग प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्गों के रख रखाव के लिए भी उत्तरदायी है।

लो0नि0वि0 के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय	क्षेत्र के अन्तर्गत मण्डल
1	पश्चिमी	मेरठ	मेरठ, सहारनपुर
2	उत्तर पश्चिमी	बरेली	बरेली
3	आगरा	आगरा	आगरा
4	मध्य	लखनऊ	लखनऊ
5	दक्षिण मध्य	कानपुर	कानपुर
6	फैजाबाद	फैजाबाद	फैजाबाद, देवीपाटन
7	झाँसी	झाँसी	झाँसी, चित्रकूट धाम
8	पूर्वी	वाराणसी	वाराणसी, मिर्जापुर
9	गोरखपुर	गोरखपुर	गोरखपुर, बस्ती.
10	आजमगढ़	आजमगढ़	आजमगढ़
11	मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद
12	इलाहाबाद	इलाहाबाद	इलाहाबाद

लो0नि0वि0 के अन्तर्गत कार्यरत निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम :- प्रदेश में पुलों के निर्माण में तीव्रता लाने के लिए 1973 में इस निगम की स्थापना की गई थी।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम :- भवन कार्यों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग व निर्माण कार्य में तीव्रता लाने के लिए 1975 में इस निगम की स्थापना की गई थी।

प्रशासन

लो0नि0वि0 में प्रदेश स्तर पर प्रमुख अभियन्ता का कार्यालय स्थापित है जिसमें अभियन्ताओं के कार्यों का समन्वय, पर्यवेक्षण तथा नीति सम्बंधी मामलों का कार्य सम्पन्न किया जाता है। प्रमुख अभियन्ता की सहायता के लिए मुख्य अभियन्ता, भवन (स्तर -1), मुख्य अभियन्ता विश्व बैंक(स्तर-1), मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग (स्तर-2) मुख्य अभियन्ता मुख्यालय प्रथम व द्वितीय (स्तर-2), 12 क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), मुख्य अभियन्ता, परिवार, (स्तर-2), मुख्य अभियन्ता वि0/या0 (स्तर-2), मुख्य वास्तुविद (मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 के समकक्ष) के पद सृजित हैं। लो0नि0वि0 संगठन की संरचना परिशिष्ट-अ में दर्शायी गयी है।

2. विभाग की इकाई खण्ड है। प्रत्येक जिले में 1 से 4 खण्ड स्थापित है। खण्डों की संख्या, कार्य की प्रकृति एवं परिमाण पर निर्भर होती है।

गत तीन वर्षों में लोक निर्माण विभाग के खण्डों एवं वृत्तों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

खण्डों एवं वृत्तों के प्रकार	1998-99		1999-2000		2000-01	
	खण्ड	वृत्त	खण्ड	वृत्त	खण्ड	वृत्त
अधिशासी						
मैदानी क्षेत्र के मार्ग तथा भवन	192	35	189	35	165	32
पर्वतीय क्षेत्र के मार्ग तथा भवन	52	10	52	10	-	-
राष्ट्रीय मार्ग	31	6	28	5	25	5
ए0डी0बी0 परियोजना विद्युत /यांत्रिक/यू0पी0डी0ए0एस0पी0	52	10	55	9	39	8
योग	327	61	324	59	229	45

अनाधिशासी

सर्वेक्षण नियोजन परियोजना	37	4	29	5	18	5
अन्वेषण, विश्व बैंक के कार्य तकनीकी प्रकोष्ठ	10	1	15	0	02	-
योग	47	5	44	5	20	5

3 विभागीय पदों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

पद	स्थायी	अस्थायी	योग
राजपत्रित	372	1304	1676
अराजपत्रित (कार्यप्रभारित कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए)	31555	24455	56010
योग	31927	25759	57686

मार्ग विकास

प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्ग व्यवस्था का विशेष महत्व है। मार्गों का विकास प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु नितांत आवश्यक है। इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने का दायित्व प्रमुख रूप से लोक निर्माण विभाग का है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्रदेश में सड़कों की लम्बाई 15113 कि०मी० थी जो यद्यपि बढ़कर अब 1,26,743 कि०मी० हो गयी है परन्तु यह लम्बाई राष्ट्रीय औसत 292 कि०मी० प्रति लाख जनसंख्या की तुलना में प्रदेश में 1991 की जनसंख्या के आधार पर सभी विभागों की लम्बाई को सम्मिलित करते हुए केवल 190 कि०मी० प्रति लाख जनसंख्या है। इस औसत को बढ़ाने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा सन् 1985 में 20 वर्षीय (1981 से 2000) मार्ग विकास की एक महत्वाकांक्षी योजना की रूप रेखा तैयार की गई थी जिसे 'लखनऊ प्लान' का नाम दिया गया। इसके सापेक्ष विभिन्न श्रेणियों के मार्गों सहित मार्च 2000 तक उपलब्धियों का विवरण निम्नवत है।

उत्तर प्रदेश में मार्गों के प्रस्ताव एवं उपलब्धियों का सारांश

क्र०सं०	वर्गीकरण	लखनऊ प्लान के अनुसार 1981 से 2000 की मार्ग विकास योजना के लक्ष्य (कि०मी० में)	मार्ग की लम्बाई (कि०मी०)		
			31.3.98तक	31.3.99तक	31.3.00 तक
1	राष्ट्रीय मार्ग	5888	3081	4232	4495
2	राज्य मार्ग	35300	9444	8702	9486
3	प्रमुख जिला मार्ग	59310	8876	8789	9831
4	अन्य जिला मार्ग	0	27547	27440	25351
5	ग्रामीण मार्ग *	254662	68636	72832	77580
	योग	355160	117584	121995	126743

* अन्य विभागों के मार्ग सम्मिलित नहीं हैं।

मार्ग विकास नीति

प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए सड़कों, ग्रामीण सम्पर्क मार्गों एवं पुलों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए लोक निर्माण विभाग की मार्ग विकास नीति घोषित की जा चुकी है। इस नीति के क्रियान्वयन से राज्य में सुचारु परिवहन व्यवस्था के साथ-साथ औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास, कृषि उत्पाद के विपणन की सुचारु व्यवस्था से प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा प्रदान की जा सकेगी। मार्ग विकास नीति में प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्यक्रम व योजनाओं को मूर्तरूप दिया जायेगा।

- (क) ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर प्रदेश के एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को सन 2005 तक तथा शेष सभी गांवों को 2010 तक सर्वशुद्ध योग्य सड़कों से जोड़ने की योजना है।
- (ख) यातायात के निर्बाध गति से चलने के लिए गड्ढामुक्त मार्गों की नितान्त आवश्यकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मार्गों को गड्ढामुक्त रखने की सतत प्रक्रिया को मार्ग नीति में विशेष बल दिया गया है।
- (ग) प्रदेश के मार्गों के समुचित अनुरक्षण के लिए मार्गों का सामयिक नवीनीकरण, व यातायात की आवश्यकतानुसार मार्गों का चौड़ीकरण तथा सुदृढीकरण आवश्यक है जिसके लिए वांछित संसाधनों में बढ़ोत्तरी के लिए "सड़क निधि" की स्थापना की गयी है। यातायात के घनत्व के आधार पर मार्गों के श्रेणी उच्चीकरण की सतत प्रक्रिया भी प्रारम्भ की गयी है।
- (घ) मार्गों के साथ-साथ वृहद सेतुओं के निर्माण एवं कमजोर व संकरे सेतुओं के स्थान पर नये सेतुओं का निर्माण किया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रकार रेलवे सम्पारों के स्थान पर रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण भी यातायात के अबाध गति से चलने हेतु अत्यन्त आवश्यक है। शहरों के यातायात के लिए फ्लाई ओवर्स का निर्माण भी आवश्यक है। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेतुओं, उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं व फ्लाई ओवर्स के निर्माण के लिए आवश्यक सर्वेक्षण कराकर प्राथमिकता निर्धारित करने के उपरान्त विभिन्न चरणों में इनका निर्माण कराया जायेगा।
- (च) घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के बाई पास, रिंग रोड व एक्सप्रेस वेज के निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेशकों एवं शासकीय निर्माण एजेंसीज के मध्य इक्विटी सहभागिता के आधार पर संबंधित योजनाओं को बीओओटीओ पद्धति से निर्माण कराने की योजना है।
- (छ) मार्गों एवं सेतुओं के निर्माण हेतु नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से अधिकाधिक धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त करके निर्माण हेतु वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की जायेगी।

राष्ट्रीय मार्ग- 28-2-2001 की स्थिति

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल राज्य को छोड़कर 19 राष्ट्रीय मार्ग है जिनकी लम्बाई 3793 कि०मी० है। जिसका राष्ट्रीय राज मार्ग विवरण निम्नांकित है।

क्रम सं०	रा०मा० की संख्या	राष्ट्रीय मार्ग का नाम	रा०मा०की उत्तर प्रदेश में कुल लम्बाई	लो०नि० व० के अधीन लम्बाई (कि०मी०)	भारतीय रा० राज मार्ग प्राधिकरण के अधीन लम्बाई
1	2	दिल्ली-मथुरा-आगरा-कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी मोहनिया बाढ़ी वैद्यावती-बारा-कलकत्ता	752.737	0.000	752.737
2	3	आगरा-ग्वालियर-शिवपुरी-इन्दौर-धुले नासिक थाने-मुम्बई	28.886	12.886	16.00
3	7	वाराणसी-मंगवन-रीवा-जबलपुर-लखनाडोन-नागपुर, हैदराबाद, कुरनौल-बंगलौर-कृष्णनगरी-सलेम-डिंडगुलमदुरई, कैपे कोमोरिन(कन्याकुमारी)	125.200	125.200	
4	11	आगरा-जयपुर-बीकानेर	42.360	42.360	
5	19	गजीपुर-बलिया-हाजीपुर-पटना	127.400	127.400	
6	24	दिल्ली-बरेली-लखनऊ	491.000	469.850	21.15
7	25	लखनऊ-कानपुर-झांसी-शिवपुरी	255.600	229.180	26.42
8	26	झांसी-लखनाडोन	131.695	131.695	
9	27	इलाहाबाद-मनगवा	45.627	0.000	45.627
10	28	राम०मा०-31 के जंक्शन के पास से बरौनी मुफ्फरपुर, पिपराकोठी-गोरखपुर-लखनऊ	365.570	365.570	
11	29	गोरखपुर-गजीपुर-वाराणसी	209.065	209.065	
12	56	लखनऊ-हैदरगढ़-जगदीशपुर-सुल्तानपुर-वाराणसी	276.700	276.700	
13	58	गाजियाबाद-मेरठ-हरिद्वार-बद्रीनाथ मानापास	134.350	134.350	
14	73	रूड़की सहारनपुर कालानूर यमुनानगर साहा पचकुला	48.890	48.890	
15	74	हरिद्वार नजीबाबाद अफजलगढ़ जहानाबाद पीलीभीत बरेली	180.000	180.000	
16	75	ग्वालियर करारी झांसी छतरपुर मार्ग	17.145	17.145	
17	76	पिण्डवारा-उदयपुर-चित्तौरगढ़-कोटा-शिवपुरी-झांसी इलाहाबाद	373.806	373.806	
18	86	कानपुर-छतरपुर-सागर	144.700	144.700	
19	87	रामपुर बिलासपुर पतनगर हल्द्वानी नैनीताल	43.180	43.180	
		योग	3793.911	2931.977	861.934

- (ज) विभाग के संसाधनों में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध धनराशि को डबटेलिंग करके वित्तीय संसाधनों के आधार का विस्तार किया जायेगा।
- (झ) योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु लोक निर्माण विभाग में प्रक्रियात्मक एवं संगठनात्मक परिवर्तन किये जायेंगे जिसमें कम्प्यूटरीकरण एवं डाटा बैंक की स्थापना भी सम्मिलित है।
- (ट) बेहतर वित्तीय प्रबन्धन पारदर्शिता एवं त्वरित गति से वित्तीय स्वीकृतियों को जारी करने के उद्देश्य से शासन स्तर पर लो0नि0वि0 में आन्तरिक वित्तीय परामर्शदाता की नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया था तथा तदनुसार नियुक्ति कर दी गई है।
- (ठ) मार्ग निर्माण कार्य केवल लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के द्वारा ही सम्पादित कराने का निर्णय लिया गया है।
- (ड) मार्गों के अनुरक्षण का कार्य केवल लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त लगभग 995 कि०मी० लम्बाई के 6 नये राष्ट्रीय राज मार्ग दिनांक 12/10/2000 को घोषित किये गये है। इन राष्ट्रीय राज मार्गों की उत्तर-प्रदेश लोक निर्माण विभाग को इन्टरस्टामेण्ट की अधि सूचना अभी भारत सरकार से निर्गत नहीं हुई है। वर्तमान में यह मार्ग अभी उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधीन है मार्गों का विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं०	राष्ट्रीय राज. मार्ग संख्या	राष्ट्रीय राज मार्ग का नाम	उत्तर प्रदेश राज्यमें लगभग लम्बाई (कि०मी० में)
1	91	गजियाबाद बुलन्दशहर खुंजा अलीगढ़ एटा कन्नौज कानपुर	405
2	92	भोगांव इटावा ग्वालियर (उ०प्र० की सीमा तक)	75
3	93	आगरा अलीगढ़ बबराला चन्दौसी मुरादाबाद	220
4	96	अयोध्या (फैजाबाद) सुल्तानपुर प्रतापगढ़ इलाहाबाद	160
5	97	गाजीपुर जमनिया सैयदराजा	45
6	75 का विस्तार	रीवा रेनूकूट गरवा उल्टनगंज रांची उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला भाग	90
		कुल लम्बाई	995

राष्ट्रीय मार्ग की महत्वपूर्ण योजनाएं

(अ) बाईपास

1. ललितपुर बाईपास
2. हापुड़ बाईपास
3. मुरादाबाद बाईपास
4. बस्ती बाईपास फेज-2

हापुड़ व मुरादाबाद बाईपास का कार्य राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त बरेली-बाईपास हेतु भूमि अध्याप्ति करने का आगमन भारत सरकार की प्रेषित किया जा चुका है। ललितपुर एवं बस्ती बाईपास के निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ब) सेतु निर्माण

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में निम्नलिखित सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति में है:-

- 1- रा०मा०-25 के कि०मी० 40 में मौरावाँ कैनल सेतु पूर्ण किया जा चुका है।
- 2- रा०मा०-25 के कि०मी० 59 में लोनी सेतु।
- 3- रा०मा०-11 के कि०मी० 18 में वेस्ट्रन डिप्रेशन सेतु।
- 4- रा०मा०-24 के कि०मी० 346 में शारदा हरदोई ब्रान्च सेतु
- 5- रा०मा०-24 के कि०मी० 393 में शारदा कैनल सेतु
- 6- रा०मा०-28 के कि०मी० 43 में लोकल नाला सेतु
- 7- रा०मा०-56 के कि०मी० 191 में पीली नदी सेतु

निम्नलिखित वृहद सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- 1- गाजीपुर-बलिया-हाजीपुर, रा0मा0-19 पर बिहार सीमा पर माझी घाट सेतु एवं पहुंच मार्ग का कार्य उ0प्र0 रा0 सेतु निगम द्वारा किया जा रहा है।
- 2 लखनऊ-कानपुर रा0मा0-25 के कि0मी0 28 में सई सेतु का निर्माण।

(स) निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य

- 1- वर्ष 2000-2001 में लो0नि0विभाग के अधीन राष्ट्रीय मार्गों पर 415.00 कि0मी0 लम्बाई में नवीनीकरण कार्य लक्षित है।
- 2- वर्ष 2000-2001 में मूल निर्माण एवं रख-रखाव के कार्यों के लिए रू0 19226.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसमें से रू0 13876.00 लाख मूल कार्यों के लिए तथा रू0 5349.00 लाख अनुरक्षण के मद के अन्तर्गत है।
- 3- वर्ष 2000-2001 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मार्गों पर कम से कम 10 कि0मी0 के लगातार स्ट्रेच में सुधार हेतु विशेष मरम्मत योजना के अन्तर्गत 177 कि0मी0 लम्बाई में रू0 4520 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

महत्वपूर्ण मार्ग विकास योजनाएं

1- नहर सेवा मार्गों को पक्का करने की योजना:-

प्रदेश में उपलब्ध नहर की पटरियों के माध्यम से यातायात सुलभ कराने के उद्देश्य से नहर की पटरियों को पक्का करके आस-पास के ग्रामों को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

वर्ष 1998-99 में 802 कि०मी० लम्बाई में लोक निर्माण विभाग द्वारा 55 जनपदों में 215 नहर पटरियों को ₹0 6188 लाख की लागत से पक्का करने की योजना स्वीकृत है। इन 215 कार्यों में से 18 कार्य नव-सृजित उत्तरांचल राज्य में पड़ते हैं जिनकी लम्बाई 36 कि०मी० व लागत 276 लाख है। उत्तरांचल राज्य के इन 18 कार्यों को छोड़कर प्रदेश में 2/2001 तक इस योजना में ₹0 5852 लाख का व्यय कर 624 कि०मी० सोलिंग, 700 कि०मी० इन्टर तथा 747 कि०मी० टाप एवं 732 कि०मी० लेपन का कार्य करके 179 कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है।

वर्ष 1999-2000 में लोक निर्माण विभाग द्वारा 26 जनपदों में 136 नहर पटरियों के 280 कि०मी० लम्बाई में ₹0 2337 लाख की लागत से पक्का करने की योजना स्वीकृत है। अन्य योजना में स्वीकृत होने के कारण जनपद फतेहपुर में 1 कार्य, लम्बाई 2.5 कि०मी० व लागत ₹0 21 लाख है, का निर्माण नहीं किया जाना है। नवसृजित उत्तरांचल राज्य के 3 कार्य, जिनकी लम्बाई 6 कि०मी० व लागत ₹0 41 लाख है, को छोड़कर प्रदेश में माह 2/ 2001 तक ₹0 1567 लाख का व्यय करके 199 कि०मी० सोलिंग, 199 कि०मी० इन्टर 159 कि०मी० टाप तथा 102 कि.मी. लेपन का कार्य करके 33 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

वर्ष 2000-01 में यह योजना समाप्त की जा चुकी है।

2- ग्रामीण मार्ग/सेतु संबंधी अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराने की नाबार्ड वित्त पोषित योजना आर०आई०डी०एफ०-2 (1996-97)

इस योजना के अन्तर्गत ₹0 151.34 लाख की लागत से 961 मार्गों तथा ₹0 12364 लाख की लागत से 80 सेतुओं हेतु कुल ₹0 27498 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसमें से क्रमशः ₹0 14260 लाख मार्ग कार्यों तथा ₹0 11238 लाख सेतु कार्यों हेतु कुल ₹0 25498 लाख का ऋण वर्ष 1996-97 में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किया गया था।

इस योजना के अन्तर्गत लो०नि०वि० द्वारा निर्माणाधीन 820 मार्ग कार्यों में से माह 2/ 2001 तक 766 मार्ग कार्यों को ₹0 12464 लाख तथा 72 सेतु कार्यों को ₹0 11755 लाख का व्यय करके पूर्ण किया जा चुका है।

3- पंडित दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना आर0आई0डी0एफ0-3 (1997-98)

ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिए उक्त योजना वर्ष 97-98 में प्रारम्भ की गई है। इस योजना की लागत का 90 प्रतिशत भाग नाबार्ड से ऋण के रूप में तथा 10 प्रतिशत भाग राज्य संसाधनों से वहन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 1000 से अधिक की आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने हेतु 1206 कार्य, लम्बाई 1770 कि0मी0, लागत रू0 11236 लाख के लिए स्वीकृत है। इस योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन 1146 मार्ग कार्यों में से नव सृजित उत्तरांचल राज्य के 23 कार्य जिनकी लागत रू0 102 लाख है, को छोड़कर प्रदेश में माह 2/2001 तक रू0 10221 लाख का व्यय कर 1112 मार्ग कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। 11 कार्य भूमि विवाद के कारण अभी अपूर्ण है।

उक्त योजना में 25 सेतुओं का निर्माण कार्य लागत रू0 3011 लाख के स्वीकृत है। निर्माणाधीन 24 सेतुओं में से माह 2/ 2001 तक रू0 2686 लाख का व्यय करके 20 सेतुओं का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है।

4- पंडित दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना आर0आई0डी0एफ0-4(1998-99)

इस योजना के अन्तर्गत रू0 22412 लाख की लागत से 1863 सम्पर्क मार्गों के 3588 कि0मी0 लम्बाई में निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त है। इस योजना के अन्तर्गत लो0नि0वि0 द्वारा निर्माणाधीन 1747 मार्ग कार्यों में से नवसृजित उत्तरांचल राज्य के 14 कार्य जिनकी लागत रू0 167 लाख है, को छोड़कर प्रदेश में माह 2/ 2001 तक रू0 18588 लाख का व्यय कर 1019 मार्ग कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है।

उक्त योजना में रू0 11515 लाख की लागत से 90 सेतुओं के निर्माण की स्वीकृति भी प्राप्त है। इनमें से नव सृजित उत्तरांचल राज्य के 4 सेतु, जिनकी लागत रू. 252 लाख है, को छोड़कर प्रदेश में निर्माणाधीन 86 सेतुओं में से माह 2/ 2001 तक रू0 5066 लाख का व्यय करके 18 सेतुओं का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

5- पंडित दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना आर0आई0डी0एफ0-5(1999-2000 एवं 2000-2001)

इस योजना के अन्तर्गत 1001 सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु रू0 12924 लाख तथा 24 सेतुओं, लागत रू0 3669 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। नवसृजित उत्तरांचल राज्य के 13 कार्य जिनकी लागत रू. 2351 लाख है, को छोड़कर प्रदेश में माह 2/ 2001 तक रू0 7047 लाख का व्यय कर 124 मार्ग कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इस योजना में सेतुओं का निर्माण प्रगति में है।

6- डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना -

प्रदेश के नगरीय मार्गों पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण मार्गों की दशा अत्यंत खराब रहती थी जिससे जनता को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या के समाधान हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई है।

वर्ष 1997-98 में प्रदेश के 15 शहर के लिए ₹0.1128 लाख की लागत से 62 कि०मी० लम्बाई के कार्य स्वीकृत किये गये, जिसमें से माह 2/ 2001 तक 14 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

वर्ष 1998-99 में 22 शहर के लिए 88 कि०मी० लम्बाई में ₹0.1878 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये। इन कार्यों पर माह 2/ 2001 तक ₹0.1470 लाख का व्यय कर 20 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

वर्ष 1999-2000 में 4 शहर के लिए 14 कि०मी० लम्बाई में ₹0.251 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये। इन कार्यों पर माह 2/ 2001 तक 199 लाख व्यय कर 1 कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

वर्ष 2000-01 में इस योजना में अब तक 10 शहर के लिए 34 कि०मी० लम्बाई में ₹0.917 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इन कार्यों पर ₹0.135 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

7- जिला सेक्टर कार्य :-

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला योजना (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) के अधिनीत कार्यों हेतु ₹0.11710.80 लाख तथा जिला योजना(सामान्य) के कार्यों हेतु ₹0.14572.50 लाख धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त योजनाओं में माह 2/ 2001 तक क्रमशः ₹0.8671 लाख एवं ₹0.10,812 लाख का व्यय करके 778 तथा 1110 कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। यह योजना अब प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना में समाहित हो गयी है।

8- राज्य योजना(सामान्य)

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2000-2001 में 1-4-97 के पूर्व के कार्यों पर ₹0.70 करोड़ एवं 1-4-97 के बाद के कार्यों पर 46 करोड़ का बजट प्राविधान है जिसके सापेक्ष माह 2/ 2001 तक ₹0.116 करोड़ अवमुक्त किये जा चुके हैं। राज्य योजना के अन्तर्गत 258 लक्षित कार्यों के विरुद्ध माह 2/ 2001 तक ₹0.4650 लाख व्यय करके 164 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

9- मार्ग एवं सेतुओं का अनुरक्षण

प्रदेश की सड़कों की मरम्मत करने और उन्हें गड्ढामुक्त करने की योजना:-

वर्तमान में नवसृजित उत्तरांचल राज्य को छोड़कर प्रदेश में लो0नि0वि0 के अधीन 105268 कि0मी0 का विशाल सड़क जाल है जिसमें 2932 कि0मी0 राष्ट्रीय मार्ग, 8076 कि0मी0 राज्य मार्ग व 8315 कि0मी0 प्रमुख जिला मार्ग सम्मिलित है। इन मार्गों का रख रखाव विभाग द्वारा किया जाता है। यातायात घनत्व अधिक बढ़ जाने के कारण एवं संसाधनों की कमी के कारण इन मार्गों का समुचित रख-रखाव नहीं हो पा रहा था। इससे जन-सामान्य भी काफी प्रभावित था। साथ ही आवागमन में जन-सामान्य को काफी परेशानी हो रही थी। इस दृष्टिकोण से वर्तमान में मार्गों को गड्ढामुक्त करने का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके फलस्वरूप सभी राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग तथा महत्वपूर्ण अन्य जिला मार्गों को गड्ढामुक्त रखा जा रहा है एवं अधिक से अधिक नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसको एक सतत प्रक्रिया के रूप में लिया गया है। धनाभाव के कारण सभी ग्रामीण मार्गों तथा कम महत्वपूर्ण अन्य जिला मार्गों को इस अभियान में सम्मिलित नहीं किया जा सका है।

वर्ष 2000-01 में सड़को/सेतुओं के अनुरक्षण मद में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 116.00 करोड़ के अन्तर्गत राज्य मार्गों का नवीनीकरण, मार्गों को गड्ढा मुक्त किये जाने का कार्य, पान्टून पुल/फेरी का अनुरक्षण, रेलवे सम्पारों का अनुरक्षण, विशेष मरम्मत आदि के कार्य कराये रहे हैं। राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 200 करोड़ से राज्य मार्गों के चौड़ीकरण का कार्य, ग्रामीण मार्गों का नवीनीकरण/सुधार का कार्य एवं प्रमुख जिला मार्गों/अन्य जिला मार्गों के नवीनीकरण का कार्य कराया जा रहा है। इस वर्ष राज्य मार्गों/प्रमुख जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों को पी-2/एस.डी.सी. से नवीनीकरण हेतु अनुमोदित 7175 कि0मी0 के सापेक्ष माह 2/ 2001 तक 4027 कि0मी0 का नवीनीकरण किया जा चुका है।

10- मार्गों का उच्चीकरण

मार्गों की उपयोगिता जिला व यातायात घनत्व के आधार पर विभिन्न श्रेणी के मार्गों को उच्चीकृत करने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-01 में प्रमुख जिला एवं अन्य जिला मार्गों को उच्चीकृत कर 32 नये राज्य-मार्ग घोषित किये गये हैं।

11 केन्द्रीय मार्ग निधि:-

वर्ष 2000-2001 में केन्द्रीय मार्ग निधि के अन्तर्गत उ0प्र0 के अंश रू0 69.28 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष रू0 119.40 करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं।

भवन विंग संगठन एवं विवरण

(अ) भवन निर्माण

भवन निर्माण का कार्य जनपदों में लो०नि०वि० विभाग के विभिन्न खण्डों द्वारा सम्पादित किया जाता है। मुख्यालय पर समीक्षा एवं समन्वय हेतु मुख्य अभियन्ता 'भवन' (स्तर-एक) के अधिकारी तैनात है जिनके अधीनस्थ भवनों की समीक्षा एवं परिकल्पना के लिए अधिकारी उपलब्ध है।

भवन विंग द्वारा राज्य के चिकित्सा, शिक्षा, खेलकूद, पर्यटन, पुलिस, कृषि, उद्योग, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विश्व बैंक पोषित, न्याय, राजस्व आदि विभागों के विभिन्न प्रकार के अवासीय एवं अनावासीय भवनों तथा लो०नि० विभाग के स्वयं के विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जाता है। इन निर्माण कार्यों का वित्तीय प्राविधान लो०नि०वि० के अथवा सम्बन्धित विभाग के बजट में होता है। वर्ष 2000-01 में विभाग के बजट में भवन निर्माण कार्यों के लिए ₹ 2375.44 लाख का प्राविधान है। विभिन्न विभागों के बजट में प्राविधानित धनराशि भी लो०नि०वि० को डिपोजिट के रूप में कार्यों के सम्पादन हेतु उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2000-01 में विशेष रूप से दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत राजस्व विभाग के विभिन्न जनपदों में ₹ 550.00 लाख लागत के 250 अभिलेखागारों के निर्माण का कार्य सौपा गया है जो मार्च 2001 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित हैं। वर्ष 99-2000 में भी लो०नि०वि० को 71 अभिलेखागारों के निर्माण का कार्य सौपा गया था जिनमें से 27 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 44 कार्यों को इस वित्तीय वर्ष (2000-2001) में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

(ब) भवन अनुरक्षण

विभाग द्वारा लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के सभी भवन, राजभवन, माननीय उच्च न्यायालय, के०डी०सिंह बाबू स्टेडियम, विधान भवन तथा लो०नि०वि० की स्वयं की सभी आवासीय कालोनियों के रख रखाव का कार्य भी सम्पादित कराया जाता है। अन्य जनपदों में पूल्ड आवास तथा लो०नि०वि० के भवनों के रख रखाव का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2000-2001 के बजट में अनावासीय भवनों के रखरखाव हेतु ₹ 1903.82 लाख व आवासीय भवनों के रख रखाव हेतु ₹ 1002.74 लाख का प्राविधान है।

लो0नि0 वि0 द्वारा विभिन्न विभागों के निर्माणाधीन भवनों का विभागावार विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	विभाग का नाम	यूनिटों की संख्या		
		अवशेष यूनिट	2000-2001 में पूर्ण करने का लक्ष्य	
1	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	आवासीय	58	0
		अनावासीय	17	0
		योग	75	0
2	कारागार	आवासीय	0	0
		अनावासीय	9	0
		योग	9	0
3	(1) राजस्व विभाग	आवासीय	245	0
		अनावासीय	175	0
		योग	420	0
	(2) अभिलेखाकार	आवासीय	0	0
		अनावासीय	0	0
		नये	0	0
		पुराने	250	250
		योग	250	250
4	लो0नि0वि0 (पूल्ड आवास)	आवासीय	955	200
		अनावासीय	0	0
		योग	0	200
5	खेल कूद	आवासीय	0	0
		अनावासीय	23	1
		योग	23	1
6	शिक्षा विभाग (1) बेसिक शिक्षा	आवासीय	3	0
		अनावासीय	7	1
		योग	10	1
	(2) माध्यमिक शिक्षा	आवासीय	110	0
		अनावासीय	133	0
		योग	243	0
	(3) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	आवासीय	7	0
		अनावासीय	35	3
		योग	42	3
7	श्रम सेवा योजन (तकनीकी शिक्षा)	आवासीय	7	5
		अनावासीय	28	6
		योग	35	11
8	प्राविधिक शिक्षा	आवासीय	14	0
		अनावासीय	10	0
		योग	24	0
9	सभी विभागों की यूनिटों का कुल योग	आवासीय	1399	205
		अनावासीय	687	261
		योग	2086	466

वाहय सहायतित कार्य (राष्ट्रीय मार्ग के कार्य को छोड़कर)

1 एशियन डेवलपमेन्ट बैंक पोषित परियोजना

एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से 184.30 कि०मी० लम्बे वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग के सुधार हेतु ₹० 10866 लाख की योजना स्वीकृत है। परियोजना की वास्तविक लम्बाई 182.947 कि०मी० है। अधिष्ठान रहित अनुमानित पुनरीक्षित लागत ₹० 18967 लाख है।

मार्च, 2000 तक ₹० 18733 लाख व्यय कर कार्य पूर्ण कराया जा चुका है व मार्ग को यातायात के लिए खोला जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2000-2001 में ₹० 200 लाख का बजट प्राविधान है।

2 विश्व बैंक पोषित स्टेट रोड प्रोजेक्ट -2

विश्व बैंक पोषित प्रस्तावित स्टेट रोड प्रोजेक्ट-2 के अन्तर्गत प्रदेश के 1000 कि०मी० लम्बाई के महत्वपूर्ण राज्य मार्गों एवं प्रमुख जिला मार्गों के उच्चीकरण एवं 2500 कि०मी० लम्बाई के महत्वपूर्ण राज्य मार्ग एवं प्रमुख जिला मार्गों के बृहद रख-रखाव के लिए परियोजना के गठन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा के माध्यम से प्रोजेक्ट को आर्डीनेटिंग कन्सलटेन्ट की नियुक्ति ₹० 2778 लाख की लागत पर जून 99 में की जा चुकी है तथा कन्सलटेन्ट ने 1 सितम्बर 99 से कार्य प्रारम्भ कर दिया है। मार्च 2000 तक उस कार्य पर ₹० 650 लाख का व्यय हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2000-2001 में ₹० 9 करोड़ व्यय होने की सम्भावना है।

उक्त परियोजना के अन्तर्गत कार्य दो चरणों में होना है। प्रथम चरण के अन्तर्गत 400 कि०मी० लम्बाई के उच्चीकरण एवं 1000 कि०मी० लम्बाई के बृहद रख-रखाव का कार्य होना है। जबकि द्वितीय चरण के अन्तर्गत 600 कि०मी० लम्बाई में उच्चीकरण एवं 1500 कि०मी० लम्बाई में बृहद रख-रखाव का कार्य होना है। प्रथम चरण के लिए विस्तृत परियोजना स्वीकृति हेतु विश्व बैंक को प्रेषित की जा चुकी है।

अन्वेषण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

अन्वेषणालय और रिसर्च डिवलपमेंट एण्ड क्वालिटी प्रमोशन सेल के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण स्थल की मिट्टी, भवनों एवं मार्गों तथा सेतुओं के निर्माण कार्यों के प्रयोग में आने वाली सामग्री का परीक्षण करना तथा उनकी संरचना की परिकल्पना करना है जो कि विभिन्न तकनीकी कमियों को दूर करने तथा नयी तकनीक के संचार करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

2. वर्ष 2000-2001 में 12/2000 तक सम्पन्न कार्य कलापों का विवरण निम्न प्रकार है :-

अन्वेषणालय में माह 12/2000 तक कुल 378 नमूनों का परीक्षण किया गया। सेतुओं के निर्माण हेतु 3 सेतुओं पर 96.0 मीटर बोरिंग करके भूमि परीक्षण किये गये। भूविज्ञानी द्वारा 46 स्थलों का भूगर्भीय अध्ययन किया गया। अन्वेषणालय के सुदृढीकरण हेतु केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन करने की योजना है। रफोमीटर द्वारा 10.0 कि०मी० मार्ग की राइडिंग क्वालिटी तथा 3.0 कि०मी० का वैकिल मैन बीम द्वारा ओवर ले में परीक्षण किया गया।

3. रिसर्च डिवलपमेंट एवं गुणवत्ता सम्बर्धन प्रकोष्ठ में माह 12/2000 तक क्षेत्रीय प्रयोगशाला मेरठ में कुल 194, क्षेत्रीय प्रयोगशाला गढ़वाल में 79 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला लखनऊ में 69 नमूनों को सम्मिलित करते हुए कुल 342 विभागीय नमूनों का परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त कुल 3.0 कि०मी० मार्गों के लिए मिट्टी की भार वहन क्षमता सी०वी०आर० तथा वैकिलमैनबीम परीक्षणों से निकाली गयी। जनपदों में स्थापित प्रयोगशालाओं में 2494 गुणवत्ता परीक्षण सम्पन्न किये गये।

4. वर्ष -2001-2002 में 500 नमूने परीक्षित करने का लक्ष्य है तथा जनपदीय प्रयोगशालाओं में अधिक से अधिक गुणवत्ता नियंत्रण लगभग 3000 नमूनों को परीक्षित करने का लक्ष्य है।

कम्प्यूटरीकरण

लोक निर्माण विभाग, जो कि प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, में सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए निर्णय लिया गया है जिससे विभाग की कार्य प्रणाली में कम्प्यूटरीकरण एवं कम्प्यूनिकेशन टेक्नालोजी का इस्तेमाल किया जा सके। तदनुसार शासन द्वारा विभाग के वृहद कम्प्यूटरीकरण के कार्य की रू० 351 लाख की लागत की स्वीकृति दी जा चुकी है।

कम्प्यूटरीकरण के कार्य को नियोजित तरीके से कराने के लिए विभाग की सिस्टम स्टडी का कार्य भारत सरकार के उपक्रम मैसर्स सी०एम०सी० लिमिटेड से कराया गया है। सिस्टम स्टडी के अनुसार विभाग के कम्प्यूटराइजेशन की कार्ययोजना पर शासन स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कम्प्यूटर ग्रुप से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। कम्प्यूटरीकरण के प्रथम चरणों के कार्यों हेतु निविदायें भी प्राप्त हो चुकी है कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास के दृष्टि से अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अन्य उच्च स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु उनके कार्य-स्वरूप को देखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने तथा भविष्य में सहायक अभियन्ताओं एवं अवर अभियन्ताओं को भर्ती के समय ही प्रशिक्षण दिये जाने की योजना है। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से अधिकारियों को बेहतर प्रबन्धन, वित्तीय नियमों की जानकारी एवं आधुनिक कम्प्यूटर तकनीक के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा जिससे वे कुशलता पूर्वक उच्च स्तर की गुणवत्ता के साथ कार्यों का सम्पादन कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि०

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि० की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1973 में प्रदेश के विकास हेतु सेतुओं का निर्माण उच्चतम गुणवत्ता तथा तीव्र गति से कराने हेतु की गयी थी । सेतु निगम ने अपने कार्यकलाप प्रदेश एवं देश में ही सीमित न रखकर नेपाल, यमन, ईराक आदि तक बढ़ाये हैं ।

2. वर्ष 99-2000, 2000-2001, 2001-2002 में निगम द्वारा निम्नानुसार कार्य किये गये/प्रस्तावित हैं :-

क्र० सं०		1999-2000			2000-2001			2001-2002		
		निक्षेप	निविदा	कुल	निक्षेप	निविदा	कुल	निक्षेप	निविदा	कुल
1	लक्षित कार्यभार (करोड़ में)	110.00	140.00	250.00	130.00	145.00	275.00	135.00	150.00	285.0
	प्राप्ति कार्यभार (करोड़ में)	101.00	148.00	249.00	77.50 12/00 तक	86 12/00 तक	163.50			
2	लक्षित कार्य की संख्या	64	16	80	68	18	86	64	10	74
	प्राप्ति कार्य की संख्या	51	12	63	28 12/00 तक	3 12/00 तक	31			

3. निक्षेप कार्य :

सेतु निगम द्वारा वर्ष 2000-2001 में 68 सेतुओं, जिनकी लागत रु० 130.00 करोड़ है, पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसका योजनावार विवरण निम्नानुसार है । इनमें से दिसम्बर 2000 तक 28 सेतुओं का रु० 77.50 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य किया जा चुका है ।

(लागत करोड़ रु० में)

क्र०सं०	योजना का नाम	वर्ष 2000-01 का निर्धारित लक्ष्य		लक्ष्यों के सापेक्ष दिसम्बर 00 तक उपलब्धि	
		कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत	कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत
1	नाबार्ड 2	2	2.00	0	1.83
2	नाबार्ड.3	3	3.00	1	2.75
3	नाबार्ड.4	45	66.00	17	36.00
4	आयोजनागत	5	12.00	3	7.65
5	डाकूग्रस्त क्षेत्र योजना	1	5.00	0	0.45
6	रेलवे सुरक्षा निधि	3	20.00	3	9.50
7	अन्य निक्षेप	8	20.00	4	17.22
	योग	67	128.00	28	75.40
8	उत्तरांचल	1	2.00	0	2.10
	कुल योग	68	130.00	28	77.50
	निविदा	18	145.00	3	86.00
	महायोग	86	275.00	31	163.50

4 वर्ष 2001-2002 में सेतु निगम द्वारा 64 कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है एवं निक्षेप कार्यों पर 135.00 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित है इसके अतिरिक्त 10 निविदा कार्यों को पूर्ण करते हुये 150.00 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य है जिनका योजनावार विवरण निम्नानुसार हैं :-

(लागत करोड़ रु० में)

क्र०सं०	योजना का नाम	वर्ष 2000-2001 के लिये निर्धारित लक्ष्य	
		कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत
1	नाबाई-2	2	5.00
2	नाबाई-3	2	2.50
3	नाबाई-4	30	31.00
4	नाबाई-5	10	16.00
5	आयोजनागत	6	15.00
6	डाकूग्रस्त क्षेत्र योजना	0	6.50
7	रेलवे सुरक्षा निधि	4	16.00
8	बी.ओ०टी०	1	28.00
9	अन्य निक्षेप	8	13.00
	योग	63	133.00
10	उत्तरांचल विकास निधि	1	2.00
	योग	64	135.00
11	निविदा कार्य	10	150.00
	कुल योग	74	285.00

5- निविदा कार्य:-

सेतु निगम द्वारा उत्तर प्रदेश एवं भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों के खुली निविदा के आधार पर निम्न कार्य प्रगति में है:-

क्रम सं०		कार्यों की संख्या	कार्यों का मूल्य(करोड़ रु० में)
1	उ०प्र० में निविदा कार्य	5	100.00
2	अन्य प्रदेशों में निविदा कार्य	17	467.00
	योग	22	567.00
3	वर्ष 2000-2001 में पूर्ण करने का लक्ष्य	18	145.00
4	वर्ष 2001-2002 में पूर्ण करने का लक्ष्य	10	150.00

वर्तमान में 22 निविदा कार्य प्रगति में है। जिनकी कुल लागत रु० 567 करोड़ है इसमें से वर्ष 2001-2002 में रु० 150 करोड़ कार्यभार के सापेक्ष 10 कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

निविदा के अन्तर्गत चार नये कार्यों को प्राप्त किया गया है। जिनको अभी आरम्भ किया जा रहा है:-

- 1- पंजाब में लुधियाना जनपद में रेलवे उपरिगामी सेतु लागत रु० 12.73 करोड़
- 2- गौतमबुद्धनगर में दादरी उपरिगामी सेतु लागत रु० 21.40 करोड़
- 3- दिल्ली में धौलाकुआं में उपरिगामी सेतु लागत रु० 42.39 करोड़
- 4- नयी दिल्ली में जवाहर नगरी मार्ग पर सब-वे-लागत रु० 1.15 करोड़

6- रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतु

वर्ष 2000-01 में हाथरसे में उपरिगामी सेतु पीलीभीती-भरतपुर मार्ग के हाथरस जंक्शन पर सेतु एवं जनपद रामपुर में रामपुर-शाहाबाद मार्ग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निम्न रेलवे उपरिगामी सेतुओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

- 1- फतेहपुर:- जी०टी० रोड पर फतेहपुर गाजीपुर-गौशासी मार्ग पर रेलवे उपरिगामी सेतु।
- 2- इलाहाबाद- झांसी-इलाहाबाद-मिर्जापुर मार्ग पर सिरसा मण्डी पर रेलवे उपरिगामी सेतु
- 3- कानपुर-मेडिकल कालेज कानपुर जी.टी.रोड पर रेलवे सम्पार संख्या 79 डी पर सेतु।

इसके अतिरिक्त 10 रेलवे उपरिगामी सेतु बी०ओ०टी० योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-24 एवं 28 पर भी चिन्हित किये गये हैं। जिन पर निर्णय लिया जाना विचाराधीन है।

7- वाह्य श्रोतों से वित्तीय संसाधन :-

नाबार्ड द्वारा आर०आई०डी०एफ०-॥ के 80 सेतुओं की लागत रु० 139.04 करोड़ एवं आर०आई०डी०एफ०-॥ के 25 सेतुओं की लागत रु० 30.70 करोड़ योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 105 सेतुओं एवं पहुंच मार्गों में से अवशेष 4 कार्यों को वित्तीय 2000-2001 में पूर्ण करने का लक्ष्य है

नाबार्ड - 4 (आर०आई०डी०एफ०-4) के अन्तर्गत 86 सेतुओं का निर्माण किया जाना है जिनकी लागत रु० 110.86 करोड़ है, जिसमें से 72 सेतुओं का कार्य प्रगति में है। 17 सेतुओं को लगभग 12/2000 पूर्ण किये जा चुके हैं।

नाबार्ड - 5 (आर०आई०डी०एफ०-5) के अन्तर्गत 39 सेतुओं को नाबार्ड वित्त पोषित हेतु अनुमोदित किया गया है। जिसमें से 24 सेतुओं की वित्तीय स्वीकृति रु० 36.99 करोड़ की जा चुकी है जिसमें से 10 सेतुओं का कार्य प्रगति में है। शेष की संसाधन जुटाकर आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

नाबार्ड - 6 (आर०आई०डी०एफ०-6) के अन्तर्गत वित्त पोषित कराने हेतु 84 सेतुओं के प्रस्ताव लगभग रु० 190.00 करोड़ के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।

8- बी०ओ०टी० योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य:-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नयी मार्ग विकास नीति की घोषणा वर्ष 1998 में की गयी थी। सेतु निगम को बी०ओ०टी० स्कीम के अन्तर्गत मार्ग एवं सेतु के निर्माण नोडल एजेंसी नामित किया गया है। सेतु निगम द्वारा जनपद सोनभद्र में सोन नदी पर एक सेतु का निर्माण बी०ओ०टी० योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है।

9- लाभ/ हानि की स्थिति

सेतु निगम द्वारा वर्ष 98-99 में लगभग रु० 413.00 लाख का लाभ अनुमानित है। वर्ष 99-2000 में रु० 308.00 लाख का लाभ अनुमानित है। वर्ष 98-99 तक के लेखे पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 98-99 तक निगम का संचित लाभ रु० 1157 लाख है। वर्ष 2000-01 में सितम्बर 2000 में दिसम्बर 2000 तक लगभग रु० 190 लाख हुआ है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि०, उत्तर प्रदेश सरकार के एक उपक्रम के रूप में अगस्त 1975 में स्थापित किया गया। उस समय इस निगम का प्रदत्त अंशदान मात्र 5 लाख रु० था जो कि वर्ष 1977 में बढ़कर 100 लाख रु० कर दिया गया। निगम की अधिकृत अंश पूंजी 500 लाख रुपये है।

1- निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य:-

प्रदेश एवं देश में विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण, भवनों का अनुरक्षण एवं आधुनिकता, वैराज, डैम्स, एक्वाडक्ट, पुल, कल्वर्टस, रोपवेज का निर्माण, विद्युतीय एवं सेनेटरी इन्सटालेशन्स, औद्योगिक परियोजनाये (तापीय विद्युत गृहों, कताईमिल, चीनी मिल, प्रासेस फैक्ट्री आदि) का कार्य तथा नगर एवं गाँवों के विकास के कार्या में माध्यमिक स्कूल, डिग्री कालेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय आदि के निर्माण में सहभागिता निभाना है।

उपरोक्त के अलावा निगम राज्य सरकार की सड़कों, भवनों के अनुरक्षण आदि का कार्य भी कर सकता है, ताकि आधुनिक प्रबन्धकीय प्रणाली से इनका निर्माण/ अनुरक्षण हो सके।

निगम का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यों में मितव्ययता, गुणवत्ता एवं समय बद्धता के साथ-साथ पारदर्शिता है।

इसी क्रम में, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर मजदूरों को समुचित वेतन एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना एवं तकनीकी योग्यता धारक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी निगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

2- निगम की कार्य प्रणाली:-

निगम द्वारा समस्त कार्य विभागीय निर्माण प्रणाली से किये जाते है जिसके अन्तर्गत सामग्री जैसे ईट, लोहा, सीमेन्ट आदि का क्रय जहाँ तक सम्भव है, सीधे निर्माताओं या अधिकृत वितरकों से किया जाता है। निर्माण के कार्य छोटे-छोटे श्रमिकों (पी०आर०डबलू०) के माध्यम से किये जाते है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अतिरिक्त दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल हरियाणा, जम्मू एवं काश्मीर, तथा पश्चिमी बंगाल में निर्माण कार्य कर रहा है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में निगम को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है।

3- संगठनात्मक ढाँचा:-

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु इस 8 कार्यकारी अंचलों में विभाजित किया गया है जिसके अन्तर्गत 65 कार्यकारी इकाईयाँ कार्यरत है मुख्यालय पर तकनीकी व वित्तीय समन्वय हेतु वास्तुविदीय विंग, परिकल्पना विंग, कम्पनी सचिव विंग, वित्त एवं लेखा विंग, वाणिज्य विंग एवं संविदा विंग एवं कार्मिक विंग स्थापित किये गये है। प्रत्येक विंग का संचालन महाप्रबन्धक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। जिनमें से यांत्रिक व विद्युत विंग द्वारा परिकल्पना एवं समन्वय कार्यों के साथ-साथ निर्माण इकाईयों के कार्यों पर सीधे नियन्त्रण भी किया जा रहा है।

4- उपलब्धियां:-

विगत पाँच वर्षों में निर्माण निगम द्वारा अपने लक्ष्य की पूर्ति एवं किये गये कार्यों के टर्न-ओवर की उपलब्धि निम्न प्रकार रही:-

वर्ष	लक्ष्य लाख रु० में	उपलब्धि लाख रु० में
1995-96	19800	17006
1996-97	25000	19220
1997-98	25000	22938
1998-99	27000	23197
1999-2000	30000	19292

5. वित्तीय वर्ष 2000-2001 में सम्पादित कराये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण:-

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में निर्माण निगम द्वारा रु० 31000 लाख के कार्य सम्पादन कराने का लक्ष्य रखा है, जिसके विरुद्ध रु० 9557 लाख के कार्य नवम्बर 2000 तक कराये जा चुके हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है।

(i) निक्षेप कार्य

निक्षेप कार्य के अन्तर्गत शासन के विभिन्न विभागों /संस्थाओं के 794 कार्य निर्माणाधीन हैं। वित्तीय वर्ष 2000-01 में रु० 27365 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध रु० 8076 लाख का कार्य नवम्बर, 2000 तक निष्पादित कराया जा चुका है।

(ii) निविदा कार्य

खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा एवं निगोशियेशन के आधार पर प्राप्त 108 निविदा कार्य निर्माणाधीन हैं। वित्तीय वर्ष 2000-01 में रु० 3635 लाख लक्ष्य के विरुद्ध रु० 1481 लाख का कार्य नवम्बर, 2000 तक निष्पादित कराया जा चुका है।

क्रम सं०	कार्य का प्रकार	सक्रिय कार्यों की संख्या	वर्ष का लक्ष्य लाख रु० में	वित्तीय वर्ष 2000-2001 में नवम्बर, 2000 तक का टर्नओवर लाख रु० में	टिप्पणी
1	निक्षेप कार्य	794	27365	8076	उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में कार्य किये जा रहे हैं।
3	निविदा कार्य	108	3635	1481	उ०प्र०, दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, जम्मू, कश्मीर, पश्चिम बंगाल में कार्य किया जा रहा है।
	कुल योग	902	31000	9557	

6- वित्तीय वर्ष 2000-01 में कार्य अर्जन का संक्षिप्त विवरण:-

वित्तीय वर्ष 2000-01 में ₹0 30000 लाख के कार्य अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके विरुद्ध नवम्बर, 2000 तक लगभग ₹0 26000 लाख के कार्य अर्जित किये गये हैं

7. लेखों की स्थिति

अ. निगम ने वर्ष 98-99 तक के लेखे वार्षिक सामान्य सभा में अंतिम हो चुके हैं। वर्ष 1999-2000 के लेखों को निदेशक मण्डल के समक्ष रखा जा चुका है।

ब. लाभ/हानि की स्थिति:-

वर्ष 1998-99 में ₹0 191.06 लाख की हानि हुई तथा वर्ष 1999-2000 में ₹0 28.86 लाख का लाभ हुआ है। निगम का कुल संचित लाभ ₹0 940.01 लाख है।

8. लागत में नियन्त्रण

निर्माण सामग्री में प्रयुक्त मुख्य-मुख्य सामग्री उदाहरणार्थ सीमेन्ट, स्टील, केबिल, फिटिंग आदि की क्रय दरों का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है, जिससे सीमेन्ट तथा स्टील के क्रय में बचत हुई है।

9. गुणवत्ता नियन्त्रण

निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर प्रभावी नियन्त्रण के उद्देश्य से कार्य-स्थलों पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है, जिनमें निर्माण सामग्रियों का परीक्षण किया जा रहा है। समय-समय पर प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं से भी निर्माण सामग्रियों का परीक्षण कराया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश -व्यापी अभियान चलाकर सभी निर्माण कार्यों का निरीक्षण एवं सत्यापन का कार्य कराया गया है।

10. कम्प्यूटरीकृत व आधुनिक पर्यवेक्षण प्रणाली

निगम में आधुनिक पर्यवेक्षण प्रणाली के माध्यम से मुख्यालय, द्वारा प्रभावी समीक्षा अनुश्रवण किया गया है इसके अन्तर्गत मुख्यालय पर वाणिज्य, वित्त व लेख, तकनीकी, वास्तुविदीय, व्यवस्थापन हेतु महाप्रबन्धक (मुख्यालय) विंग को प्रथम चरण में कम्प्यूटरीकरण किया गया है। द्वितीय चरण में अंचलीय कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है।

लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश का संगठन 2000-2001 (उत्तरांचल के गठन के बाद की स्थिति)

प्रमुख अभियाना

<p>मुख्य अभियाना (मवन) स्तर-1</p>	<p>मुख्य अभियाना स्तर-1 (विश्व बैंक परियोजना)</p>	<p>मुख्य अभियाना स्तर-2 (मुख्यालय-1)</p>	<p>मुख्य अभियाना स्तर-2 (मुख्यालय-2)</p>	<p>मुख्य अभियाना स्तर-2 (परिवाद)</p>	<p>मुख्य अभियाना स्तर-2 (शिशु चिकित्सा)</p>	<p>मुख्य अभियाना स्तर-2 के अधिकारी, तीन वरिष्ठ वास्तुविद, 7 वास्तुविद</p>	<p>स्टाफ आफीसर (अधीक्षण अभियाना स्तर के)</p>
<p>1- अधीनस्थ (ई-2) 2- तकनीकी कोष्ठ-1 3- अधीनस्थ 10वां वृत्त (3 खण्ड) 4- 39वां वृत्त लखनऊ अधीनस्थ (6 खण्ड) सहायक अभियाना (5 खण्ड) सहायक अभियाना (परिचय) सहायक अभियाना (5 खण्ड) सहायक अभियाना (विद्युत)</p>	<p>1- अधीनस्थ (नियोजन) 2- अधीनस्थ (व्यवस्थापन) 3- मार्ग सर्वेक्षण- 4 लखनऊ 4- 55वां वृत्त लखनऊ अधीनस्थ का (5 खण्ड) 5- यू.पी. डाय वृत्त (पूर्व) लखनऊ (8 खण्ड) 6- यू.पी. डाय वृत्त (पश्चिम) मेट्रो अधीनस्थ का (5 खण्ड) 7- स्टेट रोड प्रोजेक्ट-2 सौहार्द लैंड वर्क</p>	<p>1- 31वां वृत्त लखनऊ (3 खण्ड) 2- 7वां वृत्त नियोजन लखनऊ अधीनस्थ (क्षेत्र) अधीनस्थ नियोजन-1-2 3- 37वां वृत्त परियोजना वीडीडी-11 अधीनस्थ यातायात मार्ग सर्वेक्षण-5 4- निर्देशक अन्वेषणालय उत्तरी-3 मूंगू वेला-1 यातायात अध्ययन एवं सर्वेक्षण, लखनऊ</p>	<p>1- अधीनस्थ (ई-3) 2- अधीनस्थ (सामान्य) 3- अधीनस्थ याद (1 खण्ड) 4- वैयक्तिक सहायक (मि०) 5- विशेष प्रेम अध्यापिका अधिकारी</p>	<p>1- वरिष्ठ स्टाफ आफीसर (परिवाद) 2- अधीनस्थ (परिवाद) 3- मार्ग सर्वेक्षण-6 लखनऊ</p>	<p>1- अधीनस्थ (अध्यापिका) 2- तकनीकी कोष्ठ-15 3- 17वां वृत्त लखनऊ (5 खण्ड) 4- 30वां वृत्त (वि/यो) लखनऊ अधीनस्थ (5 खण्ड) 5- 47वां वृत्त (वि/यो) मुद्राभावा अधीनस्थ-1 (4 खण्ड) 6- 44वां वृत्त (वि/यो) वाराणसी अधीनस्थ-1 (4 खण्ड)</p>	<p>मुख्य अभियाना स्तर-2 1- अधीनस्थ-1 2- मुद्राभावा वृत्त मुद्राभावा अधीनस्थ का (5 खण्ड) 3- रामपुर विमान वृत्त रामपुर अधीनस्थ का (4 खण्ड)</p>	<p>1- अधीनस्थ वी.डी.डी.-12 लखनऊ मुख्य अभियाना स्तर-2 इलाहाबाद क्षेत्र इलाहाबाद 1- अधीनस्थ-1 2- अधीनस्थ 3- इलाहाबाद वृत्त इलाहाबाद अधीनस्थ कावर्ग (6 खण्ड) 4- प्रतापगढ़ फतेहपुर वृत्त प्रतापगढ़ अधीनस्थ कावर्ग (5 खण्ड)</p>
<p>मुख्य अभियाना स्तर-2 राष्ट्रीय मार्ग 1- अधीनस्थ रा.मा. 2- अधीनस्थ 11वां वृत्त (2 खण्ड) 3- अधीनस्थ 50वां वृत्त मद्रा अधीनस्थ कावर्ग (1 खण्ड) 4- 16वां वृत्त कानपुर अधीनस्थ कावर्ग (5 खण्ड) 5- 18वां वृत्त इलाहाबाद अधीनस्थ का (5 खण्ड) 6- 57वां वृत्त लखनऊ अधीनस्थ कावर्ग (7 खण्ड) 7- 28वां वृत्त अधीनस्थ (7 खण्ड)</p>	<p>मुख्य अभियाना स्तर-2 मेट्रो मेट्रो 1- अधीनस्थ क्षेत्र कावर्ग 2- अधीनस्थ समग्र मेट्रो वृत्त मेट्रो अधीनस्थ कावर्ग (3 खण्ड) 4- महानगर वृत्त सहानगर अधीनस्थ कावर्ग (4 खण्ड) 5- इलाहाबाद गणिकाबाद वृत्त बुलन्दशहर अधीनस्थ कावर्ग (7 खण्ड)</p>	<p>मुख्य अभियाना स्तर-2 आगरा क्षेत्र आगरा 1- अधीनस्थ क्षेत्र कावर्ग 2- आगरा विमान वृत्त आगरा अधीनस्थ कावर्ग (6 खण्ड) 3- अतीवृत्त मद्रा वृत्त, अतीवृत्त अधीनस्थ कावर्ग (6 खण्ड) 4- एटा मैनपुरी वृत्त, एटा अधीनस्थ कावर्ग (6 खण्ड)</p>	<p>मुख्य अभियाना स्तर-2 झांसी क्षेत्र झांसी 1- अधीनस्थ क्षेत्र कावर्ग 2- अधीनस्थ-1 (समग्र) 3- झांसी बलितपुर वृत्त झांसी अधीनस्थ कावर्ग (3 खण्ड) 4- नादा वृत्त नादा अधीनस्थ कावर्ग (5 खण्ड) 5- उर्दू वृत्त उर्दू अधीनस्थ कावर्ग (4 खण्ड)</p>	<p>मुख्य अभियाना स्तर-2 दरभंगा क्षेत्र कानपुर 1- अधीनस्थ क्षेत्र कावर्ग 2- अधीनस्थ-1 3- कानपुर वृत्त कानपुर अधीनस्थ कावर्ग (7 खण्ड) 4- इटावा वृत्त इटावा अधीनस्थ कावर्ग (7 खण्ड)</p>	<p>मुख्य अभियाना स्तर-2 मध्य क्षेत्र, लखनऊ 1- अधीनस्थ क्षेत्र कावर्ग 2- अधीनस्थ-2 3- लखनऊ रमपली वृत्त लखनऊ अधीनस्थ कावर्ग (7 खण्ड) 4- सीतापुर क्षेत्र वृत्त सीतापुर अधीनस्थ कावर्ग (6 खण्ड) 5- उन्नाव हस्ते वृत्त, उन्नाव अधीनस्थ कावर्ग (6 खण्ड)</p>	<p>मुख्य अभियाना स्तर-2 फैजाबाद क्षेत्र, फैजाबाद 1- अधीनस्थ क्षेत्र कावर्ग 2- फैजाबाद अकनपुर वृत्त, फैजाबाद अधीनस्थ कावर्ग (8 खण्ड) 3- बाराबंकी बहादुर वृत्त बाराबंकी अधीनस्थ कावर्ग (6 खण्ड) 4- गोरख वृत्त, गोरख अधीनस्थ कावर्ग (4 खण्ड)</p>	<p>मुख्य अभियाना स्तर-2 गोरखपुर क्षेत्र गोरखपुर 1- अधीनस्थ क्षेत्र कावर्ग 2- गोरखपुर महाराज वृत्त गोरखपुर अधीनस्थ कावर्ग (5 खण्ड) 3- बली विद्यानगर वृत्त, बली अधीनस्थ कावर्ग (7 खण्ड) 4- देवीया पडौना वृत्त देवीया अधीनस्थ कावर्ग (4 खण्ड)</p>

